रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277682
CG-DL-E-04112026-277682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 866] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 866] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 968(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संपूर्ण कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 में (इसमें इसके पश्चात मूल नियम के रूप में निर्दिष्ट), में जहां भी 'शेयर' शब्द आता है, उसके स्थान पर ''इंस्ट्रूमेंट्स'' शब्द रखा जाएगा।

3. मूल नियमों में, नियम 2 के उप-नियम (1) में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

'(खक) ''इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स'' से, भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधीमानी शेयर अभिप्रेत है;'

4. मूल नियमों के नियम 3--

(i) खंड (क) में, ''कंपनियों'', शब्द के बाद, ''अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों की अधिकारिता में, सार्वजनिक कंपनयिों के अलावा'', शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

''(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अधिकारिता में गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां, जहां तक वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार हैं।''

5. मूल नियमों में, नियम 4 में, दोनों स्थानों पर आने वाली ''मौजूदा शेयरधारकों'' शब्दों के स्थान पर ''मौजूदा धारक'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल नियमों में, नियम 5 में,

(i) खंड (घ) में, ''जिसका निवल मूल्य ऋणात्मक है'' शब्दों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि नकारात्मक निवल मूल्य वाली कंपनी भी सूचीबद्ध होने के लिए अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के लिए पात्र होगी, यदि जारीकर्ता इस नियम के प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय अधिकारिता में संबंधित प्रतिभूति बाजार नियामक द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों को शुद्ध पेशकश का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत आवंटित करने का वचन देता है।"

(ii) खंड (ङ) में, परंतुक में, शब्द "दो वर्ष" के लिए, "छह माह से अधिक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खंड (छ) में, शब्दों "निर्दिष्ट अवधि" के पश्चात, "और ऐसी चूक की भरपाई नहीं की गई है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

7. मूल नियमों में, द्वितीय अनुसूची में, प्ररूप लीप-1 के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. लीप-1
रजिस्ट्रार के समक्ष विवरणिका को प्रस्तुत करने संबंधी प्ररूप
(अनुज्ञेय अधिकारिता-1 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सूचीबद्ध करना)

सत्यमेव जयते

प्ररूप की भाषा
अंग्रेजी ● हिंदी ●

[*कंपनी अधिनियम*, 2013 *की धारा 23 की उप-धारा (3) और कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिता में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसरण में*]

प्ररूप दायर करने के लिए अनुदेशिका किट का संदर्भ लें
*से चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं।

1. * कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): पूर्व-भरित

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) कंपनी की *ई-मेल आईडी

3. * आवेदन का प्रयोजन
O विवरणिका को फाइल करना

(क) प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख)प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेंज के पास विवरणिका प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

4. लंबित निरीक्षण, अन्वेषण या जाँच से संबंधित सूचना:

(क) क्या कंपनी के विरूद्ध कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के निरीक्षण का आदेश दिया गया है।
O हां O नहीं

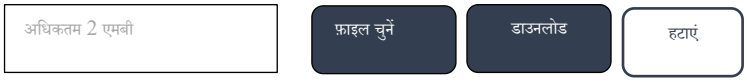
(ख) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के अन्वेषण का आदेश दिया गया है।
O हां O नहीं

(ग) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के जांच का आदेश दिया गया है।
O हां O नहीं

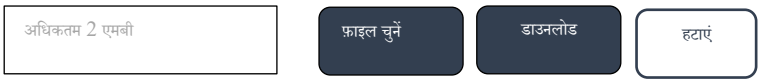
संलग्नक:

1. *प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेज के अनुमोदन की प्रति अधिकतम 2 एमबी फ़ाइल चुनें डाउनलोड हटाएं

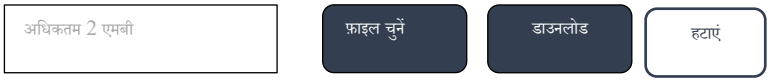
2. *विवरणिका को फाइल करने की पावती की प्रति



3. *विवरणिका की प्रति



4. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

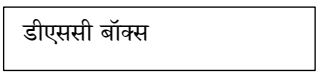


घोषणा

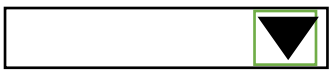
मेरी समग्र जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप और संलग्नक में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मुझे निदेशक मंडल के दिनांक (दिन/माह/वर्ष) के संकल्प _____ द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसके अलावा यह भी घोषित किया जाता है कि कंपनी ने इन नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

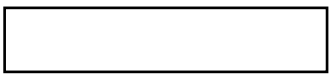
***डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने हेतु**



* पदनाम
(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीईओ/सीएफओ)



* निदेशक का निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ
या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या
कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या



व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है की मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का इस प्ररूप की विषय वस्तु और उससे संबंधित प्रासंगिक मामलों के संदर्भ में नियमों को पढ़ा है और मैं कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों से उपर्युक्त ब्यौरों (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और मैंने पाया है कि वे सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई।

*** डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने हेतु** **डीएससी बॉक्स**

O सनदी लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
O लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
O कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

एसोसिएट या फेलो
O एसोसिएट O फेलो

सदस्यता संख्या

व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या

सहेजें | प्रस्तुत करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमश: झूठे बयान या झूठे प्रमाणन के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करते हैं।

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड से रखी गई फाइल में दाखिल की गई कंपनी द्वारा दी गई सत्यता के विवरण के आधार पर लिया गया है।

कार्यालय के उपयोग हेतु

ई-प्रारूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्रारूप दाखिल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

[फा. सं. 5/1/2021-सीएल-आई-भाग(1)]

बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61(अ), तारीख 24 जनवरी, 2024 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 443(अ), तारीख 3 जुलाई, 2025 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 968(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 23 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024, namely:−

1. (1) These rules may be called the Companies (Listing of equity instruments in permissible jurisdictions) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the principal rules), for the word "shares", wherever it occurs, the word "instruments' shall be substituted.

3. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ba) "equity instruments" means equity shares, convertible debentures, preference shares issued by an Indian Company;'

4. In the principal rules, in rule 3,-

(i) in clause (a), after the word, "companies", the words, "other than public companies in the International Financial Services Centres jurisdiction", shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:–

"(c) unlisted public companies in the International Financial Services Centres jurisdiction, in so far as they are in accordance with the provisions of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and with the regulations framed thereunder.".

5. In the principal rules, in rule 4, for the words "existing shareholders" occurring at both the places, the words "existing holders" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 5,

(i) in clause (d), after the words "has a negative net worth" the following proviso, shall be inserted, namely: -

"Provided that a company having a negative net worth shall be eligible to issue its equity instruments for listing, if the issuer undertakes to allot at least seventy-five per cent. of the net offer to qualified institutional buyers in accordance with the regulations framed in this regard by the respective securities market regulator in permissible jurisdiction for purpose of this rule.".

(ii) in clause (e), in the proviso, for the words "two years", the words, "more than six months" shall be substituted;

(iii) in clause (g), after the words "specified period", the words "and such default has not been made good" shall be inserted;

7. In the principal rules, in the Second Schedule, for Form LEAP – 1, the following form shall be substituted, namely:–

Form No. LEAP-1

Form for submission of Prospectus with the Registrar
(Listing of equity instruments in permissible jurisdictions-1)
[Pursuant to sub-section (3) of section 23 of the Companies Act, 2013 and rule 4 of the Companies (Listing of Equity instruments in Permissible Jurisdictions) Rules, 2024]

सत्यमेव जयते

Form Language
● English ○ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory.*

1.	(a) *Corporate Identity Number (CIN) of the company	Pre-fill
2.	(a) *Name of the company	
	(b) *Address of the Registered Office of the company	
	(c) *E-mail Id of the company	
3.	* Purpose of application	

O Filing of prospectus

(a) Date of approval of Securities regulator/ stock exchange (DD/MM/YYYY)

(b) Date of submission of prospectus with Securities regulator/ stock exchange (DD/MM/YYYY)

4. * Information with regard to pending inspection, investigation or inquiry:

(a) Whether an inspection has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
O Yes O No

(b) Whether an investigation has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
O Yes O No

(c) Whether an Inquiry has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
O Yes O No

Attachments:

1.	* Copy of the approval of securities regulator/stock exchange	Max 2 MB	Choose	Download	Remove
2.	* Copy of acknowledgement of filing of prospectus	Max 2 MB	Choose	Download	Remove
3.	* Copy of the prospectus	Max 2 MB	Choose	Download	Remove
4.	Optional attachments, if any	Max 2 MB	Choose	Download	Remove

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attachments is correct and complete. I have been authorized by board of directors' resolution dated* (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

It is further declared that the company has complied with all the provisions of these rules.

***To be digitally** :

DSC BOX

*Designation

(*Director/Manager/Company Secretary/CEO/CFO*)

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of company secretary.

Certificate by Practicing Professional

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

O Chartered Accountant (in whole-time practice) or
O Cost Accountant (in whole-time practice) or
O Company Secretary (in whole-time practice)

Whether Associate or Fellow
O Associate O Fellow

Membership Number

Certificate of Practice Number

Save Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement or false certification and punishment for false evidence respectively.

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

[F. No. 5/1/2021-CL-I-Part(1)]

BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 61(E), dated the 24th January, 2024 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 443(E), dated the 3rd July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA